



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2018/चैत्र 13, 1940

No. 133]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2018/CHAITRA 13, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 22 सितम्बर, 2016

(सितम्बर 2016 के 17 वें दिन पारित)

सं. टीएमपी/19/2014-सीएचपीटी.—इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास से उसके दरमानों में निर्धारित स्टीवडोरिंग दरों तथा क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग प्रभारों के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित मामला सं. टीएमपी/19/2014-सीएचपीटी में एक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2014 पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 358 द्वारा 10 दिसम्बर 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) में अधिसूचित किया गया था।

- उक्त राजपत्र अधिसूचना के हिंदी पाठ के पृष्ठ सं. 16 और 17 में कुछ मुद्रण संबंधी त्रुटियां देखी गई हैं।
 - उपर्युक्त के मद्देनजर, राजपत्र अधिसूचना के हिंदी पाठ में मुद्रण संबंधी त्रुटि में सुधार करने के लिए निम्नलिखित शोधन शामिल किए गए हैं:—
- (क). पृष्ठ सं. 16 पर, राजपत्र अधिसूचना में मुद्रित अनुबंध-I के क्र.सं. **XV** में दिए गए आंकड़े,

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित शुल्क के मौजूदा स्तर पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XV	निबल अधिशेष/(घाटा) (IX)-(XIV)	(3,062.61)	(4,072.99)	(4,71.25)	(7,847.76)	(7,940.86)	(8,756.19)	(7,095.11)	(7,569.30)	(8,253.55)

निम्नवत् पढ़े जाएं:

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित शुल्क के मौजूदा स्तर पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XV	निबल अधिशेष/(घाटा) (IX)-(XIV)	(3,062.61)	(4,072.99)	(4,971.25)	(7,847.76)	(7,940.86)	(8,756.19)	(7,095.11)	(7,569.30)	(8,253.55)

(ख). पृष्ठ सं. 17 पर, राजपत्र अधिसूचना में मुद्रित अनुबंध-I के क्र.सं. XVIII में दिए गए आंकड़े,

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित शुल्क के मौजूदा स्तर पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XVIII	तत्संबंधी वर्षों की प्रचालन आय के प्रतिशत के रूप में घटा	-61.71%	-95.75%	-40.61%	-219.95%	-227.62%	-249.32%	-208.50%	-245.89%	-292.46%

निम्नवत् पढ़े जाएं:

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित शुल्क के मौजूदा स्तर पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XVIII	तत्संबंधी वर्षों की प्रचालन आय के प्रतिशत के रूप में घटा	-61.71%	-95.75%	-140.61%	-219.95%	-227.62%	-249.32%	-208.50%	-245.89%	-292.46%

[विज्ञापन—III/4/असा./07/18]

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

Mumbai, the 22nd September, 2016

(Passed on this 17th day of September 2016)

No. TAMP/19/2014-CHPT.—This Authority had passed an Order dated 28 November 2014 in Case No.TAMP/19/2014-CHPT relating to proposal from the Chennai Port Trust for revision of stevedoring rates and Clearing and Forwarding charges prescribed in the Scale of Rates. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 10 December 2014 vide Gazette No.358.

2. Some printing errors have been observed at page no.16 and 17 of the Hindi Version of the said Gazette Notification.

3. In view of the above, the following corrections are incorporated for rectifying the printing error in the Hindi Version of the Gazette Notification:

(a). At page no.16, the figures given in क्र. सं. XV of अनुबंध - I printed in the Gazette Notification as,

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित प्रशुल्क के मौजूदा स्तर पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XV	निवल अधिशेष/(घाटा) (IX)-(XIV)	(3,062.61)	(4,072.99)	(4,71.25)	(7,847.76)	(7,940.86)	(8,756.19)	(7,095.11)	(7,569.30)	(8,253.55)

should be read as follows:

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित प्रशुल्क के मौजूदा स्तर पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XV	निवल अधिशेष/(घाटा) (IX)-(XIV)	(3,062.61)	(4,072.99)	(4,971.25)	(7,847.76)	(7,940.86)	(8,756.19)	(7,095.11)	(7,569.30)	(8,253.55)

(b). At page no.17, the figures given in क्र. सं. XVIII of अनुबंध - I printed in the Gazette Notification as,

क्र . सं .	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित प्रशुल्क के मौजूदा स्टार पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XVIII	तत्संबंधी वर्षों की प्रचालन आय के प्रतिशत रूप में घाटा	-61.71%	-95.75%	-40.61%	-219.95%	-227.62%	-249.32%	-208.50%	-245.89%	-292.46%

should be read as follows:

क्र . सं .	विवरण	वास्तविक			सीएचपीटी द्वारा यथा प्रेषित प्रशुल्क के मौजूदा स्टार पर अनुमान			हमारे द्वारा यथा संशोधित अनुमान		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
XVIII	तत्संबंधी वर्षों की प्रचालन आय के प्रतिशत रूप में घाटा	-61.71%	-95.75%	-140.61%	-219.95%	-227.62%	-249.32%	-208.50%	-245.89%	-292.46%

[ADVT.-III/4/Exty./07/18]

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)